

इन्फोमीडिया प्रेस लिमिटेड

(CIN-L22219DL1955PLC211606)

पंजी. कार्यालय: 503, 504 एवं 507, 5वां तल, मकेंटाइल हाउस, कस्तूरबा गांधी
मार्ग, नई दिल्ली-110001

टेली.: +91-11-49812600, फैक्स: +91 11-41506115, ई-मेल

वेबसाइट: www.infomediapress.in, ई-मेल: investors@infomedia 18.in

सदस्यों के लिए सूचना

- 1) 60वीं वार्षिक साधारण सभा तथा रिमोट ई-वोटिंग सुविधा एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इन्फोमीडिया प्रेस लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 60वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, 24 सितंबर, 2015 को 10.00 बजे पूर्वा. में रिवाली गार्डन डिजिटल, खसरा नं. 646-653, छत्रपुर मंदिर के निकट, नई दिल्ली-110074 में आयोजित की जाएगी। उसमें निष्पादित होने वाले साधारण तथा विशेष व्यवसायों से निर्दिष्ट सभा की सूचना तिथि 5 अगस्त, 2015 के साथ एजीएम की सूचना, प्रबंधन की परिचर्चा तथा विश्लेषण, निदेशकों का रिपोर्ट, कॉर्पोरेट अधिशासन रिपोर्ट, ऑडिटर्स का रिपोर्ट, अकेक्षित वित्तीय विवरण तथा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के समेकित अकेक्षित वित्तीय विवरणों से शामिल वार्षिक रिपोर्ट डाक द्वारा उनके पंजीकृत पते पर ऐसे सदस्यों जिन्होंने अपना ई-मेल पता कम्पनी/ उसके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास दर्ज कराये हैं, को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज दी गई है।
- कम्पनी अपने सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है। एजीएम में निष्पादित होने के लिए प्रस्तावित व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्वारा निष्पादित किए जा सकते हैं। ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कम्पनी ने एजेंसी के रूप में कार्बी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड ("कार्बी") की सेवाएं प्राप्त की हैं। रिमोट ई-वोटिंग के निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। एजीएम सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.infomediapress.in तथा कार्बी की वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर उपलब्ध हैं। ई-वोटिंग का विवरण इस प्रकार है:
- रिमोट ई-वोटिंग 20 सितंबर, 2015 को 9.00 बजे (आईएसटी) में शुरू होगी तथा 23 सितंबर, 2015 को 17.00 बजे (आईएसटी) में बंद होगी। उक्त तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 - जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तिथि अर्थात् 18 सितंबर, 2015 को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभ भोगी, स्वामियों के रजिस्टर (डोमैटोरियल/पब्लिक पद्धति में धारित शेयर के मामले में) में दर्ज हैं, वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अधिकृत होंगे।
 - यदि कोई सदस्य एजीएम की सूचना के बाद कम्पनी का सदस्य बने हों तथा कट ऑफ तिथि अर्थात् 18 सितंबर, 2015 को शेयर धारित करते हों, वे निम्नलिखित प्रक्रिया में रिमोट ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं:
 - क. यदि सदस्य का नाम फोलियो नं./ डीपी आईडी तथा क्लाइंट आईडी के समक्ष पंजीकृत हों तो सदस्य MYEPWD<Space>E-voting Event Number+Folio No. अथवा +91 9212993399 पर डीपीआईडी क्लाइंट आईडी एसएमएस करें।
 - ख. यदि सदस्य का ई-मेल पता तथा मोबाइल नं. फोलियो नं./ डीपीआईडी क्लाइंट आईडी के समक्ष पंजीकृत है तो <https://evoting.karvy.com> के होम पेज पर सदस्य "Forget Password" पर क्लिक करें तथा पासवर्ड बनाने के लिए फोलियो नं. अथवा डीपी आईडी क्लाइंट पैन आईडी तथा पैन एंटर करें।
 - ग. इस सिलसिले में किसी भी प्रकार की सहायता के लिए कार्बी के टोल फ्री नंबर 1-800-3454-001 पर कॉल करें।
 - घ. सदस्य evoting.infomedia@karvy.com पर ई-मेल अनुरोध भेज सकते हैं।
 - च. यदि सदस्य कार्बी के ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म पर पहले से पंजीकृत हैं तो वे रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
 - इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली द्वारा मतदान की सुविधा ('insta poll') एजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्य जिन्होंने ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किए हों, वे 'insta poll' द्वारा एजीएम में मतदान करने के लिए योग्य होंगे।
 - रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर देने के बावजूद भी सदस्य एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे एजीएम में पुनः मतदान करने के लिए योग्य नहीं होंगे।
 - ई-वोटिंग से संबंधित किसी पूछताछ/ समस्याओं के लिए कृपया कार्बी की वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर उपलब्ध हेल्प एवं FAQ's सेक्शन देखें अथवा आप श्री-मोह, मोहसिन उद्दीन से +91 40 67161562 पर भी संपर्क कर सकते हैं या mohsin.mohd@karvy.com पर लिख सकते हैं।
- II) पुस्तक बंद होने की सूचना
- एतद्वारा पुनः सूचित किया जाता है कि कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 10 तथा स्टॉक एक्सचेंज (जी) के साथ सूचीयन अनुबंध के कर्नाज 16 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 (1) के प्रावधानों के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें सोमवार, 21 सितंबर, 2015 से गुरुवार, 24 सितंबर, 2015 (दोनों दिवस शामिल) तक कम्पनी की एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।
- पोस्टल बैलट सूचना**
- एतद्वारा पुनः सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 तथा लागू होने वाले अन्य प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुपालन में यह कम्पनी पोस्टल बैलट/ मतदान द्वारा पोस्टल बैलट सूचना तिथि 5 अगस्त, 2015 में दी गई प्रस्तावों पर अपने सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रस्ताव करती है। कम्पनी ने 29 अगस्त, 2015 को स्वीकृत प्रक्रिया में सदस्यों को पोस्टल बैलट प्रपत्र तथा स्व-पता लिखित पूर्व-प्रदत्त डाक-शुल्क युक्त व्यवसायिक जवाबी लिफाफे के साथ उक्त पोस्टल बैलट सूचना के प्रेषण कार्य को पूरा कर लिया है।
- ई-वोटिंग 30 अगस्त, 2015 को (9.00 बजे आईएसटी) में शुरू होगी तथा 28 सितंबर, 2015 को (17.30 बजे आईएसटी) में बंद होगी। यदि आवश्यक हो, कोई भी सदस्य, कार्बी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड, टावर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, गाछीबोवली हैदराबाद-500032 से डुप्लिकेट पोस्टल बैलट प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं।
- भौतिक पोस्टल बैलट से अपना मतदान करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि विधिवत पूर्ण तथा हस्ताक्षरित प्रपत्र (उसके डुप्लिकेट सहित) को पर्यवेक्षक के पास इस तरह से वापस करें ताकि वह 28 सितंबर, 2015 को कार्यालय अवधि (अर्थात् 17.30 बजे आईएसटी) तक अधिकतम, पर्यवेक्षक के पास पहुंच जाए।
- सूचना के प्रेषण की तिथि से 30 दिनों के बाद (अर्थात् 28 सितंबर 2015, 17.30 बजे आईएसटी) सदस्यों से प्राप्त किसी भी पोस्टल बैलट को वैध नहीं माना जाएगा तथा उक्त तिथि के बाद भौतिक पोस्टल बैलट अथवा ई-वोटिंग द्वारा मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- यदि आपको ई-वोटिंग सहित पोस्टल बैलट द्वारा मतदान से संबंधित कोई समस्या अथवा सुझाव हो तो कृपया हमें investors@infomedia18.in पर लिखें अथवा उसे लिखित में इस पते पर भेजें। तत्समीम उदयपुरवाला, कम्पनी सचिव, इन्फोमीडिया प्रेस लिमिटेड, 503, 504 एवं 507, 5वां तल मकेंटाइल हाउस, 15 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, भारत।
- उनके प्लेटफॉर्म से ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कम्पनी ने कार्बी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड ("कार्बी") की सेवाएं प्राप्त की हैं। रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने के लिए विस्तृत निर्देश पोस्टल बैलट सूचना की टिप्पणियों में दिए गए हैं। यह ध्यान रहे कि ई-वोटिंग वैकल्पिक है। यदि किसी सदस्य ने ई-वोटिंग सुविधा द्वारा मतदान किए हों तो उन्हें भौतिक बैलट प्रपत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई सदस्य ई-वोटिंग सुविधा द्वारा मतदान करते हैं तथा साथ ही भौतिक पोस्टल बैलट द्वारा अपना मतदान भेजते हैं तो केवल ई-वोटिंग द्वारा किए गए मतदान पर ही विचार किया जाएगा तथा भौतिक पोस्टल बैलट द्वारा मतदान पर पर्यवेक्षक द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
- जांच-पड़ताल की पूर्णता के बाद पर्यवेक्षक अपना रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंपेंगे तथा पोस्टल बैलट / ई-वोटिंग द्वारा मतदान के परिणामों की घोषणा बुधवार, 30 सितंबर, 2015 को 16.30 बजे (आईएसटी) में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय तथा कॉर्पोरेट कार्यालय में की जाएगी तथा पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के साथ उसे कम्पनी की वेबसाइट: www.infomediapress.in तथा कार्बी की वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा साथ ही उसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को भी दी जाएगी। सदस्यों की जानकारी के लिए पोस्टल बैलट के परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा।

इन्फोमीडिया प्रेस लिमिटेड

के लिए

तत्समीम उदयपुरवाला

कम्पनी सचिव

स्थान: नोएडा

तिथि: 31 अगस्त, 2015